न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 46 / 2023 / अपील / एलआरएक्ट / कोटा
दायरा दिनांकः 8.2.2023
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. प्रभूलाल पुत्र कृष्ण
2. रामेश्वर पुत्र कृष्ण
3. ओमप्रकाश पुत्र रामकल्याण
4. गजेन्द्र पुत्र रामकल्याण

जाति मीणा निवासीगण ग्राम गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा

...अपीलार्थी

बनाम

1. चाहन्या पुत्री भेरूलाल पत्नी जगदीश जाति मीणा निवासी ग्राम बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. प्रेमबाई पुत्री भेरूलाल पत्नी बृजमोहन जाति मीणा निवासी किशनवास तहसील पीपल्दा जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री श्यामलाल सुमन अभिभाषक –अपीलार्थी
श्री असलम अंसारी अभिभाषक–रेस्पो0 कम–1 व 2

::निर्णय::

दिनांक 22.5.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 37 / 2017 (अपील) बउनवान प्रभूलाल वगेरा बनाम चाहन्या मे पारित निर्णय दिनांक 10.8.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि तहसीलदार पीपल्दा द्वारा नामा0 सं0 978 दिनांक 6.6.2017 ग्राम गणेशगंज खातेदार भेरूलाल जाति मीना के फौत होने पर खातेदार के स्थान पर चाहन्याबाई प्रेमबाई पुत्रिया तथा रामनाथी बाई पत्नी स्व0 भेरूलाल हिस्सा बराबर हि0 1/18 दर्ज करने का स्वीकृत किये जाने के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय मे नामान्तरकरण निरस्त करने हेतु पेश की गई। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 10.8.2022 से खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर वर्णित किया कि ग्राम गणेशगंज की संयुक्त खाते की आराजी भेरूलाल,रामकरण की पुश्तैनी भूमियां है। जिसके 1/18 हिस्से की रेस्पो0 के खाते दर्ज करने की स्वीकृति कानूनी प्रावधानो के विपरीत है। मृतक भेरूलाल ने उसके जीवनकाल मे विवादित भूमि के बावत एक वसीयतनामा दिनांक 25.6.2010 को अपीलांट के नाम आलेखित किया है। भेरूलाल की मृत्यु दिनांक 13.1.17 को हुई है जिसका समुचित कियाकम अपीलांट ने किया है। अपीलांट को वसीयती अधिकार होने से रेस्पो0 के नाम तहसीलदार पीपल्दा ने गलत तौर पर नामा0 तस्दीक किया है जो अपीलांट के हितो के विपरीत है। नामा0 तस्दीक करने से पूर्व सहभागी खातेदारों को भी कोई सूचना नही दी गई जिससे पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला तथा ना ही नामा0 से पूर्व वारिसान एंव वसीयत के संबध मे जांच नही कर तहसीलदार ने बिना जांच किये माना0 तस्दीक कर त्रुटि की है। वादग्रस्त भूमियां अपीलांट के कब्जे काश्त मे है अपीलांट सहभागी काश्तकार है अपीलांट को विधिवत वसीयत मृतक ने की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का गुणदोष पर अवलोकन किये बिना अपील खारिज करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.8.2022 व तहसीलदार पीपल्दा का निर्णय दिनांक 6.6.2017 निरस्त कर अपील को सुनवाई हेतु रिमाड करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि वादग्रस्त भूमि भेरूलाल, रामकरण की संयुक्त खाते की पुश्तैनी भूमियां है। तह0 पीपल्दा द्वारा रेस्पो0 के खाते दर्ज करने की स्वीकृति कानूनी प्रावधानो के विपरीत है। मृतक भेरूलाल ने उसके जीवनकाल मे विवादित भूमि के बावत एक वसीयतनामा दिनांक 25.6.2010 को अपीलांट के नाम आलेखित किया है। इस कारण अपीलांट भेरूलाल का वसीयती उत्तराधिकारी है। तहसीलदार पीपल्दा ने सहभागी खातेदारों को सूचना दिये बिना तथा वारिसान व वसीयत की जांच किये बिना गलत तौर पर नामा0 तस्दीक किया है जो अपीलांट के हितो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का गुणदोष पर अवलोकन नही कर जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अंत मे अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय व तहसीलदार पीपल्दा का नामा0/आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे बताया कि वादग्रस्त आराजी मे मृतक भेरूलाल का 1/18 हिस्सा नियत होने से उनका विरासत का नामा0 रेस्पो0 कम 1 व 2 के नाम तस्दीक किया गया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। तथा कथित वसीयतनाम फर्जी व कुटरचित है। यदि भैरूलाल जी द्वारा वसीयत की जाती तो जानकारी होती। वसीयत स्वअर्जित सम्पत्ति की ही की जा सकती है। वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एंव प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर न्यायहित मे अपील को अवधि मध्य मानते हुये गुणावगुण के आधार पर विचार कर निर्णित किये जाने योग्य है।

6 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। तहसीलदार पीपल्दा ने ग्राम गणेशगंज मे खाता सं0 165 कुल रकबा 6.15 है0 मे खातेदार भैरूलाल के फौत होने पर उनके स्वामित्व का 1/18 हिस्से का फौती नामान्तरकरण सं0 978 दिनांक 6.6.2017 उसके विधिक वारिसान के नाम स्वीकृत किया गया। प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि वादग्रस्त भूमि भेरूलाल, रामकरण की संयुक्त खाते की पुश्तैनी भूमियां है। मृतक भेरूलाल ने उसके जीवनकाल मे विवादित भूमि के बावत एक वसीयतनामा दिनांक 25.6.2010 को अपीलांट के नाम आलेखित की है इस कारण अपीलांट भेरूलाल का वसीयती उत्तराधिकारी है। तहसीलदार पीपल्दा ने सहभागी खातेदारों को सूचना दिये बिना तथा वारिसान व वसीयत की जांच किये बिना गलत तौर पर नामा0 तस्दीक किया है जो अपीलांट के हितो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का गुणदोष पर अवलोकन नही कर निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अपीलार्थी के तर्क के संदर्भ मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाते की होना प्रकट है। मृतक भैरूलाल द्वारा भूमि के बावत एक वसीयतनामा दिनांक 25.6.2010 को अपीलांट के नाम आलेखित किया है जिसकी छाया प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है। तहसीलदार पीपल्दा ने सहभागी खातेदारों को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा वारिसान व वसीयत की जांच किये बिना मृतक भेरूलाल के हिस्से की भूमि की विरासत का नामा0 978 दिनांक 6.6.2017 तस्दीक किया गया जिससे अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नही हो सकता। ऐसी स्थिति मे हम तहसीलदार पीपल्दा द्वारा स्वीकृत नामा0 सं0 978 नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने भी तथ्यों का गुणवगुण पर विचार किये बिना अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने मे त्रुटि की है ऐसी स्थिति मे हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित नही टहराया जा सकता। लिहाजा तहसीलदार पीपल्दा द्वारा पारित नामा0 सं0 978 दिनांक 6.6.2017 एंव अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा पारित जेरअपील निर्णय 10.8.2022 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार पीपल्दा को उभय पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार पीपल्दा द्वारा स्वीकृत नामा0 सं0 978 दिनांक 6.6.2017 व अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा द्वारा प्रकरण मे पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 10.8.2022 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार पीपल्दा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई एंव साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

7 निर्णय आज दिनांक 22.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 [redacted]गीय आयु[redacted]
[redacted]